



2025:CGHC:35891

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरदाण्डिक अपील क्रमांक 837/2005

विनोद पैकरा, आयु लगभग 19 वर्ष, पिता संतोष पैकरा, व्यवसाय- कृषि, निवासी ग्राम नवापारा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : सुश्री नूपुर सोनकर, पैनल अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारीबोर्ड पर निर्णय24/07/2025

1. यह वर्तमान दाण्डिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 131/2004 में दिनांक 09.11.2005 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत अपराध कारित करने के सिद्धदोष किया तथा उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 200/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा से दण्डित किया।

2. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, अभियोक्त्री (अ.सा.-11) की आयु लगभग 21 वर्ष है और अपीलार्थी की आयु सुसंगत समय पर लगभग 19 वर्ष थी। दिनांक 03.06.2004 को सुबह लगभग 5 बजे अभियोक्त्री अपने माता-पिता को बताए बिना घर से निकल गई। जब वह सुबह 8 बजे तक वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता एस.के. (अ.सा.-1) ने थाना तमनार, जिला रायगढ़ में गुमशुदगी की सूचना क्रमांक 11/04 दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप, उसी दिन दैनिक डायरी क्रमांक 87 में सूचना दर्ज की गई। सूचना में यह भी कहा गया है कि अभियोक्त्री अपने कपड़े, 27,000 रुपये नकद और अपनी माँ



के आभूषण लेकर कहीं और चली गई है। विवेचना के दौरान, यह पाया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने साथ संबंध बनाने के लिए बहलाया, उसका व्यपहरण किया और उसके साथ लैंगिक संबंध भी बनाए। तत्पश्चात, दिनांक 27.06.2004 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 व 376 के अधीन अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-10) पंजीबद्ध की गई। अभियोक्त्री के बरामद होने के उपरांत, उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जो चिकित्सक (अ.सा.-6) द्वारा किया गया, जिसने प्रदर्श पी-9 के माध्यम से अपना अभिमत दिया कि परीक्षण के समय अभियोक्त्री डेढ़ महीने की गर्भवती थी। प्रत्यर्थी/अभियुक्त का भी प्रदर्श पी-20 के माध्यम से चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जो चिकित्सक (अ.सा.-14) द्वारा किया गया, जिसने अपीलार्थी के शारीरिक परीक्षण करने के पश्चात यह अभिमत दिया कि अपीलार्थी संभोग करने में सक्षम था।

3. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और 366 के अधीन अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अपना प्रकरण साबित करने हेतु, अभियोजन ने 14 साक्षियों का परीक्षण कराया तथा 20 दस्तावेज, जैसे कि प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-20, प्रस्तुत किए।

5. अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव पक्ष ने दो दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जो कि अभियोजन द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र, प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 हैं।

6. पक्षकारों की सुनवाई के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया, यद्यपि, उसे इस निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में उल्लिखित अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन सिद्धदोष व दण्डित किया।

7. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी ने तर्क किया है कि अपीलार्थी को अपराध में झूठा फंसाया गया है और न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन दोषसिद्ध कर गंभीर विधिक त्रुटि की है क्योंकि उक्त अपराध के आवश्यक घटक इसमें शामिल नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया है कि सुसंगत समय पर अभियोक्त्री वयस्क थी और उसकी आयु लगभग 21 वर्ष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की ओर से अभियोक्त्री को बहकाने और उसका व्यपहरण करने के लिए कोई विवश नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने स्वयं यह अवधारित किया है कि अभियोक्त्री सम्मति देने वाली पक्षकार थी और



वह स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ शामिल थी। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रकरण स्पष्ट रूप से दोषमुक्ति का है। इन तर्कों के दृष्टिगत, विद्वान अधिवक्ता अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करती हैं।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री नूपुर सोनकर ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया एवं तर्क किया कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है, अतः आक्षेपित निर्णय पूर्णतया उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध साबित करने हेतु, अभियोजन को उक्त अपराध के आवश्यक घटकों को साबित करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:-

(क) यह कि, अभियुक्त ने धारा 360 या 361 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार व्यपहरण किया या धारा 362 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार पीड़िता का व्यपहरण किया;

(ख) यह कि, उपरोक्त अपहरण या व्यपहरण की पीड़िता एक स्त्री थी;

(ग) कि व्यपहरण या व्यपहरण के दौरान अभियुक्त का आशय यह था कि (1) ऐसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जा सकता है या किया जाएगा, या (2) यह कि, उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किया जा सकता है या किया जाएगा, या (3) आपराधिक अभिन्नास द्वारा अथवा अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, कि उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया जाएगा।

11. वर्तमान प्रकरण में, साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता सम्मति देने वाली पक्षकार है और वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुकी है। सुसंगत समय पर, पीड़िता की आयु 21 वर्ष थी और अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष थी। विचारण न्यायालय ने अवधारित किया कि अभियुक्त ने 9 वीं कक्षा तक पढ़ाई की है जबकि अभियोजन एक स्नातक स्त्री थी और नौकरी कर रही थी। माता-पिता का घर छोड़ने के बाद, पीड़िता अपीलार्थी के साथ गई और अंबिकापुर स्थित एक होटल में रुकी, जहाँ उन्होंने भाई-बहन के रूप में अपनी पहचान बताई। इसके अतिरिक्त, अभियोजन (अ.सा.-11) के साक्ष्यों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता अपीलार्थी के साथ कई





स्थानों पर गई और कई दिनों तक उसके साथ रही। उसने अपीलार्थी के साथ संभोग की बात भी कही है। यद्यपि, ऐसे साक्ष्यों के बावजूद, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया।

12. कविता चंद्रकांत विरुद्ध लखानी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य [(2018) 6 एससीसी 664] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक रूप से अवधारित किया कि केवल व्यपहरण किसी अभियुक्त को इस दंडात्मक धारा के सीमा में नहीं लाता है। जहाँ तक धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोप का संबंध है, केवल यह निष्कर्ष कि स्त्री का व्यपहरण किया गया था, पर्याप्त नहीं है, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने उस स्त्री का अपहरण इस आशय से किया कि उसे विवश किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध जा सकता है। जब तक अभियोजन यह साबित नहीं कर देता कि व्यपहरण धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए है, न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं कर सकता और उसे धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दंडित नहीं कर सकता।

13. इसके अतिरिक्त, 'बहलाना' शब्द में उत्प्रेरण या प्रलोभन का भाव निहित है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को तब तक बहलाता नहीं करता जब तक कि वह ऐसा कुछ करने का प्रयास न करे जो वह अन्यथा नहीं करता। वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता के पिता (अ.सा.-1) ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पीड़िता अपनी माँ के 27,000 रुपये नकद और आभूषण लेकर घर से चली गई है। अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों से, यह भी स्पष्ट है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ कई दिनों तक रही थी, और घटना की तारीख से पहले भी उनके मध्य संबंध थे।

14. उपरोक्त पहलुओं को विचार में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को किसी भी तरह से बहलाया है, जो एक परिपक्व और स्नातक स्त्री थी और सुसंगत समय नौकरी भी कर रही थी। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी अभियोक्त्री से कई अवसरों पर मिला है, यद्यपि, अभियोक्त्री ने कोई चिंता नहीं जताई और न ही किसी के सामने शिकायत की।

15. उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के आवश्यक घटकों को आकृष्ट करने में पूर्णतया असफल रहा है और अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में भी असफल रहा है।



16. फलस्वरूप, यह दायित्व अपील **स्वीकार** की जाती है। अभियुक्त/अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उसे उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क के प्रावधानों के अनुसार, 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

सही/-

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।